



# कायानिय अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व

तहसील - भीकनगांव  
ज़िला - खरगोन, मध्यप्रदेश

(अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र)

प्रकरण क्रमांक 37750 बी - 121/जाति प्रमाण पत्र  
प्रमाण पत्र क्रमांक : RS/440/0106/42940/2015

दिनांक : 11/05/2015

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री शुभम पुड़ श्री कैलाल (पिता) एवं श्रीमती गावबी (माता) याम अंदड, तहसील भीकनगांव, ज़िला खरगोन मध्यप्रदेश अहीर जाति के हैं, यह जाति राज्य के लिए अधिसूचित अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति में अधिसूचित सूची में अनुमति प्राप्त की गई है।

1. मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना एवं एक 8-5-मध्यीस-1-34, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984.
2. पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 23-4-97-शीर्वन, दिनांक 2 अप्रैल, 1997.
3. इस संटर्मेन्ट में समव-समव पर जारी अधिसूचनाओं द्वारा अधिमान्य किया गया है।
2. यह श्री प्रमाणित किया जाता है कि श्री शुभम कीमीलेयर (सम्बन्धन वर्ग) व्यक्तियाँ/वर्गों की शेषी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक प्रशासन विभाग के जापन क्रमांक एफ 7-26-93-1-आ.प., दिनांक 8 मार्च, 1994 के साथ संलग्न परिसीट (इ) की अनुसूची के कालम (3) में किया गया है।
3. प्रमाणित किया जाता है कि जावेदक शुभम के परिवार की कुल वारिक आय उनके द्वारा परस्तुत शपथ पत्र/सकाम प्रधिकारी / नियोक्ता द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र के आधार पर रुपये 0.00 है।
4. श्री शुभम पुड़ श्री कैलाल सामान्यतः (Ordinarily) याम अंदड, सहसील भीकनगांव, ज़िला खरगोन (मध्यप्रदेश) के निवासी हैं।

स्थान : भीकनगांव

दिनांक : 11/05/2015

आधार नंबर :

समर्ग नं. :



तहसील - भीकनगांव

एस वी सिंह  
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

1. प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रमाण पत्र भ.प. शासन की Digitally Signed document repository [www.mpedistrict.gov.in](http://www.mpedistrict.gov.in) से डाउनलोड किया गया है। प्रमाण पत्र पर साक्ष अधिकारी के डिजिटल इन्काशर है।
2. यह प्रमाण पत्र सूचना वैद्यकीय अधिसूचना 2000 के अन्तर्गत साप्तर्य है।
3. प्रमाण पत्र का संतर्वनन परियन क्र. RS/440/0106/42940/2015 के द्वारा वेबसाईट <http://mpedistrict.gov.in> के साथसाथ से किया जा सकत है।

इसका किया जाता है कि इस पत्र का विवर  
जावेदक शुभम पुड़ श्री कैलाल (जाति : अहीर जाति) के द्वारा जारी किया गया है।  
प्रमाण पत्र का नंबर : 121/जाति प्रमाण पत्र क्रमांक : RS/440/0106/42940/2015